



राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 21/2024

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट: -

1. श्री लक्ष्मणाराम प्रजापत पुत्र श्री
जेतराम प्रजापत, निवासी हीरा
की ढाणी तहसील गिड़ा, जिला
बालोतरा।

1 तहसीलदार गिड़ा

आदेश

दिनांक 16.07.2024

अपीलार्थी लक्ष्मणाराम प्रजापत पुत्र श्री जेतराम प्रजापत, निवासी हीरा की ढाणी, तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता तहसीलदार गिड़ा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 03.07.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिड़ा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को न तो उपस्थित हुए और न ही जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा वांछित सूचना में संदर्भित पत्रों का पूर्ण विवरण दिया गया है, इसके बावजूद अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना यथासमय उपलब्ध नहीं करवाई है जो उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलांत को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रिकॉर्ड की यथा उपलब्धता अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उसे इस संबंध में सूचित किया जाकर प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल किया जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ



अतः आज दिनांक 16.07.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।


प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा